न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल—मजल

राजस्व आवेदन संख्या :—205 / 2024

प्रार्थिनीः—

वीरकी पत्नी जोगाराम जाति सांतिया (सातियां) निवासी ठाकरखेड़ा, मजल तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थिनीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री लादाराम परमार
प्रार्थिनी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—10.10.2025

प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1286 / 217 व 1287 / 233 कुल रकबा 02.9865 हैक्टेयर ग्राम मजल तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही हैं। प्रार्थिनी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी में उसका वास्तविक नाम वीरकी ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थिनी का नाम वीरकी के स्थान पर मोवनीदेवी लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी ने ग्रामीण सेवा शिविर में मौका जॉच रिपोर्ट पेश की। प्रार्थिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपना आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:02 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस प्रार्थिनी ने बताया कि उसका वास्तविक नाम वीरकी है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थिनी का त्रुटिवश नाम मोवनीदेवी लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थिनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थिनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है।

हमने प्रार्थिनी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थिनी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में उनका नाम वीरकी दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थिनी का वास्तविक नाम वीरकी होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मजल तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 1286/217 व 1287/233 कुल रकबा 02.9865 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिनी का नाम 'मोवनीदेवी' के स्थान पर 'वीरकी उर्फ मोवनीदेवी' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.10.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल मजल में सरे आम सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:43:02 IST
Reason: SelfAttested